HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4033/2020

Tarique Saleem S/o Shri Abdul Hai Shameem

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5376/2016

Vimal Chand Dhaddha And Ors

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan And Anr

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6231/2017

Zuber Khan

----Petitioner

Versus

State Of Raj And Ors

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. V.R. Bajwa
For Respondent(s)	:	Mr. Ramesh Choudhary, PP Mr. Ajay Kumar Jain Mr. Manish Lawania.

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

20/01/2021

याची–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह याचिका विद्वान निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या 03/2020 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2020 से व्यथित होकर पेश की गयी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–22, जयपुर महानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2019 को अपास्त करते हुए

इस मामले में प्रस्तुत एफ.आर. को अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस मामले में दिनांक 04.11.2020 के आदेश द्वारा याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी करने तथा रिकार्ड तलब करने के निर्देश दिये गये, लेकिन अभी तक अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता विद्वान लोक अभियोजक ने अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मामले में अनुसंधान जारी होना बताया गया है।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण की दलीलें रहीं हैं कि इस मामले में पुलिस ने बाद अनुसंधान एफ.आर. पेश की है तथा दूसरे दिन एफ.आर. लौटाने के संबंध में बिना कोई उचित कारण बताये प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने सही तरीके से खारिज किया है। इस आदेश के विरूद्ध करीब डेढ साल बाद निगरानी याचिका पेश हुई है। निगरानी में याची–अभियुक्तगण हितबद्ध पक्षकार थे, उन पर इस आदेश का सीधा प्रभाव पडना था। ऐसी स्थिति में धारा 401(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, फिर भी ऐसा किये बिना विद्वान निगरानी न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और अंतिम प्रतिवेदन की पत्रावली अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करने के निर्देश प्रदान कर दिये। यह आदेश विधि–विरूद्ध है जो अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा रिकार्ड तलब कर मामले का गुणावगुण पर निस्तारण होने तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. Raghu Raj Singh Rousha Vs. Shyam Sundaram Promoters Private Limited and Anr. (2009)2SCC363
2. Manharibhai Mujlibhai Kakadia & Anr. Vs. Saileshbhai Mohanbhai Patel & Ors. (2012)10SCC 517;
3. Priyanka Srivastava & Anr. Vs.State of Uttar Pradesh & Ors. (2015) 6SCC 287;
4. A.N. Santhanam Vs. K. Elangovan (2012)12 SCC 321;
5. Divine Retreat Centre Vs. State of Kerala & Ors. (2008)3 SCC542
6. State of Punjab Vs. Davinder Pal Singh Bhullar (2011) 4 SCC770

7. Kewal Chand Dakalia Vs.State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc. Petition NO. 2993/2020, decided on 05-08-2020.

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–परिवादी का कहना है कि धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुसंधान एजेंसी को न्यायालय के आदेश के बिना ही अग्रिम अनुसंधान करने की अधिकारिता है। ऐसी सूरत में प्रश्नगत निगरानी में याची–अभियुक्तगण को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं रही है। याचिका सारहीन है। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमि0 अपील नम्बर 478–479/2017 वीनूभाई–हरीभाई मालवीय व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में पारित निर्णय दिनांक 16.10.19
2. अमरनाथ व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1977 ए.आई.आर. पेज–2185

इस मामले में पारित पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 04.11.2020 की रोशनी में मामले का रिकार्ड आने के पश्चात् अंतिम निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिहाज से इतना उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि प्रस्तुत याचिका में महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अन्तर्ग्रस्त है, अतः निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2020 की क्रियान्विति आगामी पेशी तक स्थगित रहेगी।

गत आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10फरवरी, 2021 को पुनः सूचीबद्ध हो।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Mittal/113-115